न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीः अनिता खटीक आर.ए.एस.)

करण संख्याः– 205/2023

यर दिनांकः–30.06.2023

उनवान

भंवरलाल बनाम तहसीलदार निवाई

र्थी की और से :–मुकेश बेनीवाल

ार्थी की और से :–पैरोकार सरकार

प्रार्थना बाबत– अन्र्तगत धारा 128 राज. भू राजस्व अधि –1956

निर्णय

दिनांक 30/5/25

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत रा–128 इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि आराजी सरा नम्बर 495/3, रकबा 1.0117 है0 वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवार हल्का संग्रामपुरा सील निवाई में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात का खातेदार बिज काश्तकार दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाना हता है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी ये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई, अप्रार्थी की और से कार सरकार उपस्थित।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर न किया गया। प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। र्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि की सीमाओं का निर्धारण नहीं होने के कारण आये दिन तकारों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। ऐसे में उक्त वर्णित आराजियात की रगढी करवाया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना यालय उचित समझता है ।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा –128 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर सीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन ना हो प्रार्थीगण की भूमि आराजी खसरा नम्बर नम्बर 495/3, रकबा 1.0117 है0 वाके ग्राम मपुरा पटवार हल्का संग्रामपुरा तहसील निवाई जिला टोंक का पटवारी/भू.अ.नि. की टीम त कर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसुल ा जावे। कार्यवाही के दौरान मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पुलिस उपाधीक्षक वृत निवाई को शित किया जाता है कि पुलिस जाप्ता मांगे जाने पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाप्ता ब्ध करवाया जावे।

यह निर्णय दिनांक 30/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में या गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(अनिता खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
निवाई जिला टोंक